कार्यालय नगर पंचायत अग्रवाल मण्डी टटीरी (बागपत)

पत्रांक 302 /न0पं0अ0मं0/ई–टेण्डर/2017–2018 दिनांक 24.10.2017

अतिअल्पकालीन ई–टैण्डरिंग निविदा सूचना

समाचार पत्र दैनिक जागरण व अमर उजाला के क्रमशः अंक दिनांक 13.10.2017 के पृष्ट सं0 15 पर प्रकाशित ई निविदा सूचना में क्रमांक 1 व 2 में सिंगल बिड आने के कारन निविदायें निरस्त की जाती है। जो पुनः नगर पंचायत अग्रवाल मण्डी टटीरी में पंजीकृत व नवीनीकृत ठेकेदारों/फर्मो को सूचित किया जाता है, कि नगर पंचायत अग्रवाल मण्डी टटीरी में राज्य वित्त आयोग/टाउन फण्ड से प्राप्त धनराशि से निम्नलिखित कार्य ठेका पर कराये जाने हेतु दिनाक 30.10.2017 को अपरान्ह 02 बजे तक ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन निविदा फार्म वेबसाइट https://e-tender.up.nic.in पर दिनांक 25.10.2017 की प्रातः 10 बजे से दिनांक 30.10.2017 की दोपहर 12 बजे तक डाउनलोड व अपलोड किये जा सकते है। प्रत्यके ई–निविदा के साथ 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि केवल बैंक एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 व नकद रूप में देय है। जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अग्रवाल मण्डी टटीरी के पदनाम से बन्धक होगी। बिना धरोहर धनराशि के ई निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। निविदा मूल्य (जी0एस0टी0) सम्मिलित कर ड्राफ्ट अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अग्रवाल मण्डी टटीरी के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी कराते हुए दिनांक 30.10.2017 की दोपहर 02 बजे तक कार्यालय में रखे सीलबन्द बॉक्स में डाली जानी अनिवार्य है। ठेकेदार/फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण अनिवार्य है व जी0एस0टी0 की वर्तमान दरें निविदादाता को प्रत्येक दशा में मान्य होगी। प्राप्त ई निविदा को दिनांक 30.10.2017 की साय 04 बजे अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अग्रवाल मण्डी टटीरी के समक्ष निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी। निविदा स्वीकृति के उपरान्त यदि कार्य पूर्ण नही किया जाता तो सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। निविदा विक्रय की धनराशि वापिस नही होगी। शासनादेश संख्या 0145/नौ–9–2013 दिनांक 10.12.2013 के द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदारो के पंजीयन एवं श्रमिको के पंजीयन कराये जाने अनिवार्य होगें। प्रत्येक निविदा कार्य की पंजीयन ठेकेदार/संस्था को कार्यादेश प्राप्ति पर श्रम विभाग से कराकर नगर पंचायत में जमा करना होगा। अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कापी टैण्डर के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त मानी जायेगी। निविदादाता को 100 रूपये मूल्य के स्टाम्प पेपर पर स्वः घोषणा पत्र देना होगा। निविदा स्वीकृत होने पर शेष 08 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/नकद रूप में जमा करनी अनिवार्य है। यह निविदा सूचना नगर पंचायत की वेबसाइट http://npagarwalmanditatiri.com पर भी देखी जा सकती है। सशर्त निविदा मान्य नही होगी। निविदा स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	धरोहर धनराशि 2%	निविदा प्रपत्र मूल्य +जी.एस.टी 18%	कार्य अवधि
	राज्य वित्त आयोग/टाउन फण्ड				
1	अ– 15 सफाई क्षेत्रो का सफाई कार्य। ब– 04 व्यक्ति ट्रैक्टर ट्राली पर कूड़ा उठाने हेतु एवं 01 ट्रैक्टर ड्राईवर आयषर ट्रैक्टर हेतु ड्राईविंग लाईसेन्स सहित। स– 04 व्यक्ति सैप्टिक टैंक/कूड़ा उठाने हेतु एवं 01 ट्रैक्टर ड्राईवर महेन्द्रा ट्रैक्टर हेतु ड्राईविंग लाईसेन्स सहित। द– टैक्स वसूली हेतु 02 एवं चपरासी हेतु 01 व्यक्ति। ङ–02 टाटा मैजिक कूड़ा गाडी हेतु ड्राईवर ड्राईविंग लाईसेन्स सहित 02 व्यक्ति। च.नलकूप नं02 पर पम्प चालक 16 घण्टा 02 व्यक्ति छ.नलकूप नं03 पर पम्प चालक 16 घण्टा 02 व्यक्ति	ठेकेदार/फर्म द्वारा अंकित किया जाये	स्वीकृत धनराशि का 2%	1000.00+180	कार्य आदेश दिनांक से 31.03.2018 तक

(अंकित शर्मा)
टी.सी.
नगर पंचायत अग्रवाल मण्डी
टटीरी–बागपत।

(सूर्य प्रकाश)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अग्रवाल मण्डी
टटीरी–बागपत।

पत्रांक व दिनांक –उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ/कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, बागपत।
2. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी महोदय (स्था0नि0) कलेक्ट्रेट, बागपत।
3. सदर नाजिर कलैक्ट्रेट, बागपत।
4. मुख्य विकास अधिकारी बागपत।
5. उपजिलाधिकारी बागपत,बड़ौत,खेकड़ा।
6. नाजिर तहसील बागपत,बड़ौत,खेकड़ा।
7. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बागपत/बड़ौत, खेकड़ा, नगर पंचायत अमीनगर सराय/छपरौली/दोघट/टीकरी।
8. विज्ञापन व्यवस्थापक हिन्दुस्तान व जनवाणी को अपने आगामी अंक मे सरकारी दरो पर कम से कम स्पेस में प्रकाशित कर अपना बिल भुगतान हेतु 02 प्रतियों में प्रस्तुत करे।
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

टी.सी.
नगर पंचायत अग्रवाल मण्डी
टटीरी–बागपत।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अग्रवाल मण्डी
टटीरी–बागपत।